

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 29/2022

तारीख रजू 01.07.2022

विजय पुत्र हरपाल जाति मीना नि० भूरीपहाडी तह.खण्डार ।

— अपीलान्त

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ।

— रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित - मो० इमरान खान एड० - अपीलार्थीगण
पेरोकार राजस्व - रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक...17/8/22

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, खण्डार द्वारा मिसल संख्या 01/22 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम भूरी पहाडी की आराजी खसरा नम्बर 1327/869 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै०मु० सडक पर तार फेन्सिंग कर सम्वत् 2078 में अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित किये जाने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिए नोटिस की गयी तथा अपीलार्थीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत का निर्णय पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत व खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है एवम् किसी प्रकार का कोई पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के संबंध में पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य या रिकार्ड संलग्न नहीं है जिससे अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना जा सके। इस बिना घर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे। अदालत ने मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलार्थी को सजायाब करने में भूल की है जबकि इस बाबत किसी भी पडौस के खातेदार काश्तकार के बयान तक दर्ज नहीं किये हैं। अदालत मातहत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं कर उक्त


निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथ्यों के विपरीत होने के कारण उसके आधार पर पारित किया गया निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान् वकील परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत् रूप से सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है जिसकी पालना में बावजूद तामील अपीलार्थी अतिक्रमी ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार न होने बाबत अपना कोई पक्ष या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है पटवारी हल्का के बयान व रिपोर्ट से अतिचारी का पूर्ववर्ती अतिचार सिद्ध है तथा अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। पूर्व अतिचार के संबंध में बेदखल किये जाने का निर्णय अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

विद्वान् वकील अपीलार्थी व परोकार राज की बहस सुनने, अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के विरुद्ध अतिचार किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामीली अपीलार्थी के भाई को दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी की तामीली प्रोपर तरीके से नहीं की गई। जिससे अपीलार्थी का यह कथन कि सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया, मान्य है। अपीलार्थी द्वारा एक शपथ पत्र भी इस न्यायालय में अपीलाधीन आराजी से कब्जा हटा लेने संबंधी प्रस्तुत किया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिचार के संबंध में कोई सुद्ध साक्ष्य या अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर सिविल कारावास जैसी कठोर सजा का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा के लिए अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के साक्ष्य के आधार पर सम्यक् जाँच किया जाना अपेक्षित है। जिसका प्रकरण में अभाव पाया गया है। ऐसी अवस्था में सुद्ध साक्ष्य के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है तथा सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/8/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर